

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 22.09.2017

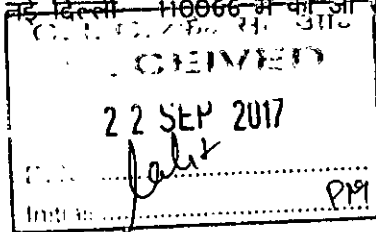
प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/277
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00269
CICOM/R/2017/00975

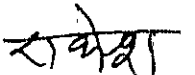
अपीलकर्ता : श्रीमती मंजू राय,
पत्नी - सार्जेंट एस. के. सिंह
द्वारा - पूर्व जे.डब्ल्यू. आर.के.सिंह,
मकान नं. 24, 8वां विनायक नगर,
पो 0 - बैंगलोर - 560063.

निर्णय की तारीख: 22.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.09.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/367/15.09.2017 (164642/14.09.2017)

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग में दाखिल द्वितीय अपील के संबंध में सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है।
2. अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान की गई कि उनकी द्वितीय अपील पर 31.05.2016 को सुनवाई हो चुकी है तथा आर.टी.आई. आवेदन में दिए गए पते पर सुनवाई की सूचना एवं निर्णय की प्रति भेज दिए गए थे। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें द्वितीय अपील की सुनवाई से संबंधित सूचना नहीं दी गई इसलिए वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकी। अतः श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर द्वितीय अपील से संबंधित सुनवाई की सूचना भेजे जाने का साक्ष्य (डिस्पैच रजिस्टर की छायाप्रति) अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाया जाए। अपीलकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि उनकी उपस्थिति में मामले की पुनः सुनवाई की जाए। इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि द्वितीय अपील की सुनवाई करवाना या सुनवाई करवाने हेतु आदेश जारी करना प्रथम अपीलीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।